

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

श्री विवेक कुमार, तत्कालीन उप निदेशक (प्रशिक्षण), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को कदाचार कराने में संलीप्तता, प्राईवेट आई० टी० आई० परीक्षा, 2013 में व्यापक अनियमितता तथा प्रतिवेदन में हेराफेरी करने, दिशानिर्देशों को पूरा करने वाले संख्याओं को जांच दल की अनुशंसा के बावजूद आरोपों के होने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के किया गया था तथा संकल्प संख्या 150 दिनांक 06.11.2013 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित संचालित की गयी। इसमें जांच प्रतिवेदन एवं द्वितीय कारण पृच्छा प्राप्त होने के पश्चात दण्ड प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

१. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम ९ के उप नियम ६ (ग) में निहित प्रावधानों के तहत सम्यक् विचारोपरान्त श्री विवेक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

२. इनके पदस्थापन के संबंध में आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा

बिहार राज्यपाल के आदेश से

अधिसूचना

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-6/ श्रम वि० आ० (०१)-६४/२०१४ 256 पटना, दिनांक 24.12.14

प्रतिलिपि: प्रभारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी के साथ आगामी बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि 15 अतिरिक्त प्रति विभाग को उपलब्ध करायें।

अधिसूचना

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-6/ श्रम वि० आ० (०१)-६४/२०१४ 256 पटना, दिनांक 24.12.14

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

अधिसूचना

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-6/ श्रम वि० आ० (०१)-६४/२०१४ 256 पटना, दिनांक 24.12.14

प्रतिलिपि: श्री विवेक कुमार, तत्कालीन उप निदेशक (प्रशिक्षण), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति मुख्यालय, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

अधिसूचना

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-6/ श्रम वि० आ० (०१)-६४/२०१४ 256 पटना, दिनांक 24.12.14

प्रतिलिपि: निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ श्रमायुक्त, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, पटना एवं भागलपुर/ संबंधित कोषांग एवं पदाधिकारी, पटना एवं भागलपुर/ अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं गोपनीय चारित्री कोषांग/ लोक सूचना पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ अवर सचिव, श्रम संसाधन

विभाग, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी,  
सरकार पक्ष/उप श्रमायुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

अधिकारी, उपर्युक्त  
24/८

ज्ञापांक-6/ श्रम वि० आ० (01)-64/2014. 256 पटना, दिनांक 24.12.14  
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन भिग के  
आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

अधिकारी, उपर्युक्त  
24/८

ज्ञापांक-6/ श्रम वि० आ० (01)-64/2014. 256 पटना, दिनांक 24.12.14  
प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी-1, सरकार पक्ष, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इनके पदस्थापन की कार्रवाई अपने स्तर से की जाये।

अधिकारी, उपर्युक्त  
24/८